| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा**<br>प्रकरण संख्या : 05 / 2018 ई.दी.<br>राज गोस्वामी बनाम प्रेमलता वगै.<br>( 1/2 )<br>आदेश दिनांक : 05.03.2026 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|

05.03.2026

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा अपने नोटिफिकेशन नंबर 03 / ई.वी. / 2026 दिनांक 27.02.2026 के द्वारा दिनांक 04.03.2026 का अवकाश घोषित किया गया जिस कारण पत्रावली आज पेशी में ली गयी।

अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् लिये जाने दस्तावेजात रेकार्ड पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया कि प्रकरण विभाजन से संबंधित है और प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण ने मूल वाद के साथ फोटो प्रतियां प्रस्तुत कर दी थी और इस प्रार्थना पत्र के साथ मूल दस्तावेजात रसीद, लिखावट, नगरपालिका से संबंधित दस्तावेज, बिल इत्यादि पेश किये हैं। इन दस्तावेजों को रेकार्ड पर लिये जाने से प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण में सुगमता होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेजात को रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जावें।

इसके विपरीत विद्वान् अधिवक्ता अप्रार्थी / वादी ने अपनी बहस में उक्त तर्कों का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र किस कानून के अन्तर्गत पेश किया है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रकरण से सुसंगत नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावें।

उभय पक्षकारान के परस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अवलोकन किया गया। अप्रार्थी / वादी

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|

**न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा**

प्रकरण संख्या : 05/2018 ई.दी.

राज गोस्वामी बनाम प्रेमलता वगै.

( 2/2 )

आदेश दिनांक : 05.03.2026

के द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध हस्तगत वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तोवजात मूल अथवा सत्यापित प्रतिलिपियां है। हालांकि यह स्वीकृत स्थिति है कि उक्त दस्तावेजात अत्यधिक विलम्ब से पेश किये गये हैं परन्तु उक्त दस्तावेजात को यदि रेकार्ड पर लिया जाता है तो अप्रार्थी/वादी के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है एवं अप्रार्थी/वादी को जिरह का भी पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा। चूंकि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने उक्त दस्तावेजात विलम्ब से प्रस्तुत किये हैं, अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र रुपये 2,000/— अक्षरे दो हजार रुपये की कॉस्ट पर स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेजात को कॉस्ट अदा होने पर रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

वादी द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा। न्यायहित में एक अंतिम अवसर दिया जाता है। आगामी पेशी पर वादी उक्त प्रार्थना पत्र का आवश्यक रूप से जवाब पेश करें एवं बहस करें।

पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी हेतु दिनांक 11.03.2026 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)

12.03.26 दिनांक 11.03.26 को स्थानीय अवकाश होने से पत्रावली आज पेश की गई।

पक्षकार उपस्थित। जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 CPC हेतु समय चाहा।

पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.26 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)

प्र.सं. 05/18 ई.अ.
राज मोहवानी / प्रेमलता वगैरह

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 08.26 | वकुलाम उपस्थित। वादी ने प्रतिवादी के जवाब प्रार्थनापत्र O.1 R.10 CPC हेतु अवसर चाहा। न्यायहित में एक और अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब / प्रार्थनापत्र दिनांक 25.03.26 को पेश हो। <br> अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश <br> नाथद्वारा (राजसमन्द) | |
| 25/3/26 | अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रा.पत्र O.1 R.10 C.P.C. का जवाब पेश किया नकल दिलाई गई। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र दिनांक 1/4/2026 को पेश हो। <br> अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश <br> नाथद्वारा (राजसमन्द) | |